



आर.ई.अज- 267

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482

विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर

Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanajmeravvnl@gmail.com

क्र. अविविनिलि/अधी.अभि.(यो)/अधि.अभि.(योजना)/सहा.अभि. (आर.ई.)/अज/ फा. आर.ई. /2017-18/प्रे. 5293 दि 10.10.17

स्पष्टीकरण

कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों) के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति/ आवेदक को सामान्य योजना में तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर कृषि कनेक्शन जारी करने का प्रावधान है, साथ ही उपरोक्त क्षेत्र के सामान्य वर्ग के आवेदकों को राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष कट आफ डेट के अनुसार कनेक्शन देने का प्रावधान है।

कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 15.1 के अनुसार कृषि कनेक्शन का स्थान परिवर्तन कनेक्शन होने से पूर्व अथवा बाद में उसी जिला क्षेत्र के किसी भी विद्युतीकृत गांव में मीटर प्रणाली से उसी श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकता है।

उपरोक्त संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों) के अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति व सामान्य वर्ग के आवेदक के कृषि कनेक्शन का स्थानान्तरण कनेक्शन होने से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित सम्पूर्ण जिले में नहीं किया जावेगा लेकिन जिले के घोषित जनजाति उपयोजना क्षेत्र तथा सहरिया क्षेत्र (किशनगंज व शाहबाद पंचायत समितियों) में ही किया जा सकेगा।

(इ. डी.एन. जांगिड)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- 2 सलाहकार (मानिट्रिंग), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 अध्यक्ष डिस्कॉमस जयपुर।
- 4 प्रबंध निदेशक, जयपुर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर।
- 5 अति./मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम. /ट्रेनिंग एव सुरक्षा सीएसएस/पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू
- 6 मुख्य लेखाधिकारी (ए.एण्ड.आर/ई बी टी./ आई.ए.-डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 7 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 9 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डब्ल्यू/एम.एण्ड.पी/वाणिज्य/डी.डी.यू.जी.जे.वाय./सर्तकता), अविविनिलि अजमेर।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता (आई टी), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपोर्टल पर अपलोड करने हेतु
- 11 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ए.डी.सी./भीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तौड़गढ़/प्रतापगढ़/राजसमन्द/उदयपुर।
- 12 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 13 प्रावैधिक सहायक-माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- 14 प्रावैधिक-सहायक, प्रबंध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 15 प्रावैधिक-सहायक, निदेशक (तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 16 अधिशाषी अभियन्ता (प्रिवेन्सेज/लीगल), अविविनिलि, अजमेर
- 17 अधिशाषी अभियन्ता (.....) अविविनिलि,.....
- 18 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु।
- 19 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 20 निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविविनिलि, अजमेर

SE (IT), AVVNL, Ajmer
RR No. 1899 Date 13.10.2017
Section.....

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर



अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

Corporate Identification Number (CIN)-U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर
Fax/Ph No.-0145-2644543/2644552 E-mail:-seplanajmeravn@gmail.com

क्र. अविविनिलि/अधी.अभि.(यो)/अधी.अभि.(योजना)/सहा.अभि. (आर.ई.)/अज/ फा. आर.ई. /2017-18/प्रे.5292 दि 10.10.17

स्पष्टीकरण

विषय- बूंद-बूंद, फव्वारा, डिग्गी योजना में पंजीकृत आवेदनों का निस्तारण करने के संबंध में स्पष्टीकरण ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बूंद-बूंद, फव्वारा, डिग्गी योजना में पंजीकृत आवेदनों के कनेक्शन करने संबंधी आदेश आर.ई.अज.-240 दिनांक 20.10.2015 में 30.09.2015 तक का प्राप्त आवेदनों का निस्तारण प्रचलित नियमानुसार किया जाना प्रावधित किया था।

नयी कृषि कनेक्शन नीति-2017 के बिन्दु संख्या 7.2 में बूंद-बूंद, फव्वारा, डिग्गी योजनान्तर्गत आवेदित आवेदनों के मांग पत्र तुरन्त प्राथमिकता से जारी करने का प्रावधान किया गया है ।

इस संबंध में विभिन्न क्षेत्राधिकारियों से आर.ई.अज.-240 दिनांक 20.10.2015 एवं नयी कृषि नीति 2017 के बिन्दु संख्या 7.2 के प्रावधान में से किस प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही की जाने के संबंध में दिशा निर्देश चाहे जा रहे हैं ।

अतः इस संबंध में निर्देशानुसार यह सूचित किया जाता है अग्रिम आदेश तक बूंद-बूंद, फव्वारा, डिग्गी योजना में 30.09.2015 तक प्राप्त आवेदनों का ही निस्तारण किया जावे ।

(ई. डी.एन. जांगिड)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
- 2 सलाहकार (मानिटरिंग), माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 3 अध्यक्ष डिस्कॉम जयपुर ।
- 4 प्रबंध निदेशक, जयपुर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर/जोधपुर।
- 5 अति./मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय/एम.एम. /ट्रेनिंग एव सुरक्षा सीएसएस/पवस) अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर/उदयपुर/झुंझुनू
- 6 मुख्य लेखाधिकारी (ए.एण्ड.आर./ई बी टी./ आई.ए.-डब्ल्यू. एण्ड एम.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 7 सचिव (प्रशासन), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर ।
- 8 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 9 अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम./टी.डब्ल्यू./एम.एण्ड.पी/वाणिज्य/डी.डी.यू.जी.जे.वाय./सतर्कता), अविविनिलि अजमेर ।
- 10 अधीक्षण अभियन्ता (आई टी), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, निगम वेबपोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
- 11 अधीक्षण अभियन्ता (पवस)/ ए.सी.सी./ए.डी.सी./भीलवाडा/नागौर/झुंझुनू/सीकर/बांसवाडा/डूंगरपुर/चित्तौडगढ़ /प्रतापगढ़/राजसमन्द/उदयपुर ।
- 12 कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 13 प्रावैधिक सहायक-माननीय ऊर्जा राज्य मंत्री, ऊर्जा विभाग, जयपुर।
- 14 प्रावैधिक-सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 15 प्रावैधिक-सहायक, निदेशक (तकनीकि), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
- 16 अधिशाषी अभियन्ता (प्रिवेन्सेज/लीगल), अविविनिलि, अजमेर
- 17 अधिशाषी अभियन्ता (.....) अविविनिलि,.....
- 18 सहायक निदेशक (जनसम्पर्क), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर, समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु ।
- 19 सहायक लेखाधिकारी (नियम), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
- 20 निजी सचिव, निदेशक (वित्त), अविविनिलि, अजमेर

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)
अविविनिलि, अजमेर